

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 73 दिनांक 03.04.2024 के द्वारा विभाग में कार्यरत समस्त चिकित्सकों को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आदेशित किया गया था कि वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024) के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राज-काज के माध्यम से स्वयं की SSO-ID से PAR Hierarchy Create कर दिनांक 30.04.2024 तक ऑनलाईन भरा जाना सुनिश्चित करें। उक्त के क्रम में संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.13(51)का./क-1/गो.प्र./2022-02354 दिनांक 29.04.2024 के द्वारा राजसेवकों को वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि 30.04.2024 से बढ़ाकर दिनांक 31.05.2024 किया गया है।

अतः विभाग में कार्यरत समस्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि जिनके द्वारा वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन अभी तक नहीं भरा गया है, अनिवार्य रूप से भरना सुनिश्चित करें। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन नहीं किये जाने के अभाव में डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति के लाभ से वंचित होने पर समस्त जिम्मेदारी चिकित्सक स्वयं की होगी।

(डॉ. रवि प्रकाश माथुर)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-राजपत्रित/डीपीसी/एसीआर/2024/103

दिनांक 02/05/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय।
5. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, राजस्थान।
6. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. समस्त अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त चिकित्सकों को पालनार्थ।
12. प्रभारी, सर्वरी रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कार्यालय प्रति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर